



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल
शहडोल (म.प्र.) पिन-484001

Regional Office, Shahdol
Shahdol (M.P.) PIN-484001

सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन 15 दिनों की विक्रय सूचना

प्रति,

1. मे सोमवंशी इंटरप्राइजेस रीवा प्रोप श्री शशांक सिंह पुत्र श्री राजेंद्र प्रताप सिंह (उधारकर्ता)

पता:- एन एच-7 समन नाका इलाहाबाद रोड रीवा (म.प्र.)

2. श्री शशांक सिंह पुत्र श्री राजेंद्र प्रताप सिंह (उधारकर्ता)

पता:- 15/255 वार्ड क्र.15 हेल्थ क्लब रहतरा समन हुजूर रीवा (म.प्र.)

3. श्री कमाल भान सिंह पुत्र श्री रामशरण सिंह (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता)

पता:- म.क्र.23/224 ललऊघाट, शास्त्री नगर अमहिया तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

विषय: ई -नीलामी विक्रय नोटिस-सावधि ऋण खाता 3982220948

जबकि आप उपरिनिदिष्ट ऋणकर्ता/जमानतदार/संपत्ति बंधककर्ता है एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के सहपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) अंतर्गत जारी नोटिस दिनांक 29/11/2018 तथा तत्पश्चात धारा 13(4) के अंतर्गत जारी कब्जा नोटिस दिनांक 06/11/2019 की सूचना के बावजूद आज दिनांक तक बकाया रकम का प्रतिदाय करने में असफल रहने पर, प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूत आस्ति/स्वावर संपत्ति का विक्रय नीलामी के माध्यम से दिनांक:-10/06/2025 (अपराह्न 12.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक) को किया जाना प्रस्तावित है। नीलामी सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों नई दुनिया एवं पत्रिका में दिनांक:-23/05/2025 को किया गया है। समाचार पत्रों की ई कॉपी की प्रति नोटिस के साथ सलग है।

एतद्वारा आपको 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है कि आप बकाया राशि के साथ सभी व्यय प्रभार तथा लागत का भुगतान कर प्रतिभूति का मोचन कर लें अन्यथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रावधानों तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बकाया राशि की वसूली हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि को नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी।

स्थावर संपत्ति का विवरण:

ऋण खाता / ऋणी / प्रत्याभूति-दाता / जमानतदार	मांग / बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण
1. मे सोमवंशी इंटरप्राइजेस रीवा प्रोप श्री शशांक सिंह पुत्र श्री राजेंद्र प्रताप सिंह (उधारकर्ता) पता:- एन एच-7 समन नाका इलाहाबाद रोड रीवा (म.प्र.)	रु.12,57,414/- + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधन भूमि / भवन: आराजी खसरा क्र.854/2/1 एवं आराजी खसरा क्र.854/2/3 मौज़ा चोरहटा, ज.न. 186, पटवारी हल्का चोरहटा क्र.29, नगर निगम रीवा वार्ड क्र.04 शेष वार्ड सर्किल रीवा विकासखंड रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.), भू-स्वामी / संपत्ति बंधककर्ता :- श्री कमाल भान सिंह पुत्र श्री रामशरण सिंह, चतुरसीमा उत्तर:- शैलेंद्र की
2. श्री शशांक सिंह पुत्र श्री राजेंद्र प्रताप सिंह (उधारकर्ता)		





सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

CENTRAL TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय, शहडोल
शहडोल (म.प्र.) पिन-484001

Regional Office, Shahdol
Shahdol (M.P.) PIN-484001

ऋण खाता / ऋणी / प्रत्याभूति-दाता / जमानतदार	मांग / बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण
पता :- 15/255 वार्ड क्र.15 हेल्थ क्लब रहतरा समन हुजूर रीवा (म.प्र.) 3. श्री कमाल भान सिंह पुत्र श्री रामशरण सिंह (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) पता :-म.क्र.23/224 ललउघाट,शास्त्री नगर अमहिया तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) संबंधित शाखा:रीवा (म.प्र.)		भूमि दक्षिण:- विक्रेता की भूमि पूर्व:- 25 फीट चौड़ी प्रस्तावित रास्ता पश्चिम:- 23 फीट चौड़ी प्रस्तावित रास्ता, कुल क्षेत्रफल 1.खसरा क्र.854/2/1 रकबा 0.294 हे० मे से 40x50=2000 वर्ग फीट एवं 2.खसरा क्र. 854/2/3 0.194 हे० मे से 40x10=400 कुल रकबा 0.488 हे० मे से 40x60=2400 वर्ग फीट उस पर निर्मित भवन/ इकाई /प्रलक्षित कब्जा

कृते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
For Central Bank of India

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / Auth. Signatory
क्षेत्रीय कार्यालय (7005) शहडोल (म.प्र.)
Regional Office, Shahdol (M.P.)

स्थान:शहडोल (म.प्र.)
तिथि: 23/05/2025

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया



जिसमें बताया गया कि पाली में ग्राम सेहरा, दफाई, गिंजरी, बेली, मंगठार में कार्रवाई कर 52 पाव देशी मदिरा प्लेन, 27 पाव विदेशी मदिरा व्हिस्की, 21 बोतल बीयर एवं 16 केन बीयर विभिन्न ब्राण्डो की कुल 36.73 बल्क लीटर जब्त की गई। इसका अनुमानित मूल्य रुपये 16,700 है। आरोपितों से जब्त की गई मदिरा के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा के तहत कुल चार न्यायालयीन प्रकरण पीजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया

बांधवगढ़ में अतिक्रमण हटाना शुरू

कक्ष क्रमांक आर एफ 605 और 606 में जंगलों में लगभग डेढ़ सौ हेक्टेयर वन भूमि पर ग्रामीणों द्वारा अधिग्रहण किया गया था, जिसको हटाने की कार्रवाई गुरुवार से शुरू कर दी गई है। टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर परिक्षेत्र अधिकारी एस एस मार्को ने बताया कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है। डेढ़ सौ हेक्टेयर के अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था जेसीबी की मदद से वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। पुलिस बल और राजस्व टीम भी तैनात है।

करना है। खिलावृत्ति हेतु खिलाड़ी को आयु 1 अप्रैल 2025 को 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की विगत वर्ष के 01 अप्रैल से 31 मार्च अर्थात एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त खेल उपबिधियों की गणना की जायेगी। खेल छात्रवृत्ति के लिए खिलाड़ी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग में 31 मई तक जमा करा सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

गूँजे भारत मां के जयकारे, सेना का किया उत्साहवर्धन



तिरंगा यात्रा में शामिल अधिकारी और जनप्रतिनिधि । ● नईदुनिया

निकाली जा रही है और सेना का उत्साहवर्धन किया जा रहा है। लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और देशभक्ति के नारे गूंज रहे हैं।

भारत माता की जय की गूंज:
उसी कड़ी में गुरुवार को दीमरखेड़ा में एसडीएम निधि गोहल की अगुवाई में तहसील कार्यालय से दीमरखेड़ा थाने तक विशाल तिरंगा

यात्रा निकाली गई, जिसमें तिरंगा यात्रा में शामिल अधिकारी कर्मचारी एवं आम नागरिकों द्वारा भारत माता की जय और सैनिकों के सम्मान में नारे लगाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी यजुर्वेद कोरी, जनपद उपाध्यक्ष दुर्गा पटेल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

[illegible]



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस
ई-नीलामी दिनांक- 10/06/2025

**क्षेत्रीय कार्यालय- बुढ़ार रोड,
शहडोल, मध्य प्रदेश**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु 15 (पंद्रह दिन) ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रलक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित"** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	संबंधित शाखा	ऋण खाता/ऋणी/प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार	मांग/ बकाया राशि	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण / कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य
					अग्रिम धरोहर जमा राशि
					बिड वृद्धि राशि
1	रीवा (म.प्र.) मो.नं.- 70000 85241	1. मे. सोमवंशी इंटरप्राइजेस रीवा प्रोप. श्री शशांक सिंह पुत्र श्री राजेंद्र प्रताप सिंह (उधारकर्ता) पता: एन.एच.- 7, समन नाका, इलाहाबाद रोड, रीवा (म.प्र.) 2. श्री शशांक सिंह पुत्र श्री राजेंद्र प्रताप सिंह (उधारकर्ता) पता: 15/255 वार्ड क्र. 15 हैल्थ क्लब रहतरा समन हुजूर रीवा (म.प्र.) 3. श्री कमल भान सिंह पुत्र श्री रामशरण सिंह (गारंटीदाता/ संपत्ति बंधककर्ता) पता: म.क्रा. 23/224, ललऊघाट, शास्त्री नगर अमहिया, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) नोटिस- 13(2)- दिनांक: 29/11/2018 नोटिस- 13(4)- दिनांक: 06/11/2019 भौतिक कब्जा- 20/11/2024	रु. 12,57,414/- + भविष्य व्याज + विधिक व्यय	संपत्ति: आराजी खसरा क्र. 854/2/1 एवं आराजी खसरा क्र. 854/2/3, मौजा चोरहटा, ज.न. 186, पटवारी हल्का चोरहटा क्र. 29, नगर निगम रीवा वार्ड क्र. 04, शेष वार्ड, सर्किल रीवा, विकासखंड रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)। भू-स्वामी/ बंधककर्ता- श्री कमल भान सिंह पुत्र श्री रामशरण सिंह। चतुर्सीमा: उत्तर- शैलेंद्र की भूमि, दक्षिण- विक्रेता की भूमि, पूर्व- 25 फीट चौड़ी प्रस्तावित रास्ता, पश्चिम- 23 फीट चौड़ी प्रस्तावित रास्ता, कुल क्षेत्रफल- 1. खसरा क्र. 854/2/1 एकबा 0.294 हे. में से 40x50 = 2000 वर्ग फीट एवं 2. खसरा क्र. 854/2/3, 0.194 हे. में से 40x10= 400 कुल एकबा 0.488 हे. में से 40x60 = 2400 वर्ग फीट उस पर निर्मित भवन/इकाई। भौतिक कब्जा	रु. 10,00,000/- रु. 1,00,000/- रु. 10,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्योरे के लिए कृपया नीचे दिये गये प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbankofindia.co.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB Alliance के वेबपोर्टल <https://baanknet.com> पर उपलब्ध लिंक देखें। नीलामी से अन्य संबंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर 91-8291220220 या प्राधिकृत अधिकारी श्री रामा कान्त मिश्रा (मो. 91-9693096247) या क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल (E-mail:-recvshahro@centralbank.co.in) से सभी कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क कर सकते हैं। शीर्षक दस्तावेजों/ दूसरे दस्तावेजों/ संपत्ति के निरीक्षण/ जानकारी हेतु: संबंधित शाखा- रीवा (मो. नं. 70000 85241) से बैंकिंग कार्यदिवसों में कार्यावधि के दौरान संपर्क किया जा सकता है। इच्छुक बोलीकर्ता सम्पत्ति का निरीक्षण संबंधित शाखा से संपर्क कर दिनांक 26/05/2025 से 31/05/2025 को कर सकते हैं। उपरोक्त संबंधित सभी ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन पंद्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 23/05/2025, स्थान: शहडोल (म.प्र.)

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी